FROM NO. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जोधपुर (उत्तर)

वादी:— बनाम प्रतिवादीगण:—

वादीनी रिंकु जरिए कुदरती वली माता कमला गिरधारीराम वगै.

अन्तर्गत धारा 88, 188 राज. काश्तकारी अधि.

वाद संख्या:— 30 /2026

जीसीएमएस नंबर ....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।
15/05/26	अधिवक्ता वादीनी की ओर से जरिऐ कुदरती वली माता कमला वाद अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया कि मूल ग्राम सालवा कला तहसील व जिला जोधपुर के खसरा नम्बर 276 रकबा 7 बीघा 18 बिस्वा वर्तमान रकबा 1.2383 हैक्टर खसरा नं0 1 रकबा 84 बीघा 13 बिस्वा वर्तमान रकबा 13.7107 हैक्टर कृषि भूमि के मूल खातेदार भोमाराम थे, उक्त भूमि वादीनी की पैतृक पुश्तैनी संयुक्त हिन्दू परिवार की सम्पति है। मूल खातेदार भोमाराम के दो पुत्र गिरधारीराम व धन्नाराम है वादीनी के पिता लिखमाराम गिरधारीराम के पुत्र है एवं एक अन्य पुत्र हरिराम है। वादीनी को उक्त भूमि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त है। मूल खातेदार भोमाराम के फौत होने पर विरासत से उक्त भूमि गिरधारीराम व धन्नाराम के नाम दर्ज हुई। प्रतिवादी सं0 1 गिरधारीराम को उक्त भूमि विरासत से प्राप्त भूमि है। उनकी खरीदसुदा अथवा स्वअर्जित कृषि भूमि नहीं है। उक्त भूमि पूर्णतया पैतृक पुश्तैनी कृषि भूमि है जो म्युटेशन नं0 1902 से स्पष्ट है। प्रतिवादी सं० 1 गिरधारीराम उक्त विरासत से प्राप्त संयुक्त हिन्दू परिवार की भूमि को आगे खुर्द बुर्द कर रहे है प्रतिवादी सं० 1 द्वारा खसरा नं0 1 में से 1/2 हिस्सा अर्थात् 21 बीघा 3 बिस्वा भूमि का बख्शीशनामा प्रतिवादी सीता पत्नी हरिराम को दिनांक 29—9—2025 को निष्पादित कर दिया। एवं तत्पश्चात प्रतिवादी सं० 1 द्वारा खसरा नं० 1 में से 1/2 हिस्सा अर्थात् 21 बीघा 3 बिस्वा भूमि प्रतिवादी गोमती पत्नी जगदीश को दिनांक 25—9—2025 को बैचान कर दी। जबकि उक्त भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की पैतृक पुश्तैनी भूमि है जिसमें प्रतिवादी सं० 1 को सम्पूर्ण भूमि बैचने का कानूनी अधिकार ही नही था। फिर भी बिना अधिकार होते हुए भी वादग्रस्त खसरा नं० 1 को प्रतिवादी सं0 1 द्वारा बख्शीश एवं बैचान के जरिये अजनबी क्रेतागणों को हस्तान्तरित कर दी। जिससे वादीनी के पैतृक अधिकारों पर विपरीत प्रभाव पडा है। वादीनी की उम्र 17 वर्ष कुछ महिने उनकी माता कुदरती वली कमला है। वादीनी के पिता लिखमाराम द्वारा वादीनी की माता से हिन्दू रिति रिवाज के तहत शादी की एवं लिखमाराम सरकारी शिक्षक है। लेकिन उन्हें वादीनी की माता को छोडकर अन्यत्र विवाह करने की कोशिश कर रहे है। वादीनी की माता द्वारा पारिवारिक न्यायालय में भरण पोषण हेतु प्रार्थनापत्र पेश कर रखा है। जो वर्तमान में विचाराधीन है और न्यायालय के आदेशानुसार भरण पोषण की राशि से वादीनी व उसकी माता अपना जीवनयापन कर रहे हे। वादीनी के पिता द्वारा पारिवारिक न्यायालय में लिखित जवाब में यह तथ्य अंकित किये है कि वादग्रस्त भूमि में 21 बीघा भूमि प्रार्थीया/वादीनी को दिलवा दी	

उपखण्ड अधिकारी (उत्तर) जोधपुर

उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर (उत्तर)

Scanned with OKEN Scanner

FROM NO. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जोधपुर (उत्तर), न्

वादीः– बनाम प्रतिवादीगणः– वाद

वादीनी रिंकु जरिए कुदरती वली माता कमला गिरधारीराम व वाद

अन्तर्गत धारा 88, 188 राज. काश्तकारी अधि. अ

वाद संख्याः– 30...... /2026

जीसीएमएस नंबर ....

लेकिन आज तक वादीनी का उनकी पैतृक भूमि प्राप्त नही हुई है। मौके पर कब्जा एवं काश्त वादीनी का है एवं रहवासिय घर बना हुआ है। लेकिन राजस्व रेकर्ड में वादीनी का नाम दर्ज नही है वादीनी की माता लिखमाराम की प्रथम पत्नी है एवं वादीनी व उसकी माता लिखमाराम के साथ रहना चाहते है एवं अपना जीवन निर्वहन करना चाहते है। प्रतिवादी सं० 1 व लिखमाराम पिता पुत्र मिलकर वादीनी को अजनबी क्रेतागणों के जरिये पैतृक भूमि से महरूम करना चाहते है एवं उन्हें बेघर करना चाहते है। यह है कि वादग्रस्त भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की पीढियों से प्राप्त पैतृक पुश्तैनी कृषि भूमि है जिसमें वादीनी का जन्म से अधिकार है एवं वादीनी का रहवासिय मकान बना हुआ है। लेकिन प्रतिवादी सं0 1 इस सम्पूर्ण वादग्रस्त भूमि को वादीनी को उसके अधिकारों के विरूद्ध आगे से आगे बैंचान हस्तान्तरण करना चाह रहे है एवं उन्हें बेघर करना चाहते है। बिनायदावा वर्ष 2025 में प्रतिवादी गोममी को पैतृक भूमि बैचान करने एवं प्रतिवादी सीता को वर्ष 2025 में बख्शीश करने एवं तत्पश्चात राजस्व रेकर्ड में क्रेतागण का नाम दर्ज होने पर बंमुकाम ग्राम सालवा कला जिला जोधपुर में पैदा हुआ। जो आज दिन तक निरन्तर जारी है। ग्राम सालवा कला तहसील व जिला जोधपुर के खसरा नम्बर 276 रकबा 7 बीघा 18 बिस्वा वर्तमान रकबा 1.2383 हैक्टर खसरा नं0 1 रकबा 84 बीघा 13 बिस्वा वर्तमान रकबा 13.7107 हैक्टर कृषि भूमि में वादीनी को 1/4 हिस्से पैतृक हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

वाद दर्ज करने से पूर्व न्यायालय के सामने यह प्रश्न है कि क्या उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि पैतृक संपत्ति है या नहीं ? अधिवक्ता वादी का मुख्य कथन यह है कि उपरोक्त वादग्रस्त जायदाद वादी एवं प्रतिवादीगण की पैतृक एवं पुश्तैनी संयुक्त हिंदु परिवार की अविभाजित कृषि भूमि है जिसमें वादी का हिन्दु उत्तराधिकार अधिनिम के अनुसार जन्म से ही हित अधिकार सृजित है।

वादपत्र में वर्णित तथ्यों का गहनता से अवलोकन किया गया। वादपत्र में वर्णित खसरान् की भूमियों के संबंध में वक्त भू–प्रबंधन राजस्व रेकर्ड से चैनलवार दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। मूल खातेदार भोमाराम के फौत होने पर विरासत से उक्त भूमि गिरधारीराम व धन्नाराम के नाम दर्ज हुई है। उक्त भूमि वादीनी के दादा प्रतिवादी सं. 1 गिरधारी राम को हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 के अंतर्गत प्राप्त हुई है।

इस संदर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों का अध्ययन आवश्यक है –

1- Uttam v. Saubhag Singh & Ors. (2016) 4 SSC 68 (Supreme Court) इस निर्णय में माननीय न्यायालय ने

उपखण्ड अधिकारी (उत्तर) जोधपुर

उपखण्ड अधिकारी जोधपुर (उत्तर)

Scanned with OKEN Scanner

FROM NO. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जोधपुर (उत्तर)

वादी:–
वादीनी रिंकु जरिए कुदरती वली माता कमला
बनाम
प्रतिवादीगण:–
गिरधारीराम वगै.
अन्तर्गत धारा 88, 188 राज. काश्तकारी अधि.
वाद संख्या:– 38 /2026
जीसीएमएस नंबर ....

यह स्पष्ट किया कि यदि किसी पिता या दादा को संपत्ति की धारा 8 HSA 1956 के अंतर्गत प्राप्त होती है, तो वह पैतृक न होकर व्यक्तिगत संपत्ति होती है। पोते/पोती या अन्य वंशजों को उसमें पिता/दादा के जीवन काल में कोई सहभाजक अधिकार प्राप्त नहीं होता है और व बंटवारे की मांग भी नहीं कर सकते हैं।

2- Commisiojner of Wealth Tax, kanpur and others vS chander sen and others (1986) 3 SSC 567, Supreme Court) इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिपादित किया कि पिता से पुत्र को धारा 8 के अंतर्गत जो संपत्ति मिलती है वह पैतृक न होकर पुत्र की व्यक्तिगत संपत्ति होती है भले ही उसका संयुक्त रूप से प्रबंधन किया जाए।

उक्त प्रकरण में मामले के तथ्यों एवं उपरोक्त न्यायिक उद्धरण के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विवादित भूमि प्रतिवादी सं. 1 यानी वादीनी के दादा को उसके पिता से धारा 8 HSA 1956 के अंतर्गत प्राप्त हुई है। इसलिए उक्त वर्णित खसरान् की भूमि पैतृक न होकर व्यक्तिगत संपत्ति है, जिसमें वादीनी (प्रतिवादी सं. 1 की पोती) को पिता/दादा के जीवन काल में कोई सहभाजक अधिकार नहीं रह जाता है एवं न ही बंटवाडे की मांग कर सकते हैं।

अतः वादीनी द्वारा किया गया वाद अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विधि एवं न्यायालय के दृष्टांतो के आधार पर पोषणीय प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रकरण आगे चलने याग्य नहीं होने से इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड
अधिकारी जोधपुर (उत्तर)

उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर (उत्तर)

उपखण्ड अधिकारी (उत्तर) जोधपुर

Scanned with OKEN Scanner